(61)

ANNEXURE- A

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना सं0--प्र3--आ0आ0सभि0--01/02- 1434(भ), दिनांक- 7.7.04

अधिसूचना

झारखंड सरकारी परिसर (किराया वसूली, बेदखली, एवं आवंटन) अधिनियम, 2002 की धारा 14 एवं झारखंड सेवा संहिता के नियम 110 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल कार्यहित में सरकारी आवास आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली नियमावली--2004 का गठन निम्न रूप से करते हैं ।

सरकारी आवास आवंटन, किराया वसूली एवम् बेदखाली नियमावली-2004

क) यह नियमावली झारखण्ड सरकारी परिसर (आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत एवं झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 110 के अधीन बनाई गई है और यह झारखण्ड सरकारी परिसर (आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली) नियमावली 2004 कहलायेगी।

ख) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी। इस नियमावली के प्रवृत्त / प्रभावी होने के पश्चात् पूर्व में निर्गत तत्संबंधी सभी नियम / निदेश / अनुदेश जो इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उस सीमा तक अप्रभावी समझे जायेंगे।

2. क) यह नियमावली राज्य सरकार के मा0. मंत्रीगण/ उच्च न्यायालय के मा0. न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण / कर्मचारीगण, अन्य सरकारी पदाधिकारियों/राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए राँची स्थित केन्द्रीय पूल के सभी सरकारी आवासों / भविष्य में निर्मित होनेवाले भवनों/होस्टल कक्षों तथा समय-समय

सत्यापित
दण्डित - 18.11.2
अवर सचिव भवन निर्माण झारखण्ड
जनसूचना पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग

Scanned by TapScanner

पर राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए आवासन के निमित्त किराए / पट्टे अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त किये गए भवनो पर लागू होगी।

ख) यह नियमावली राँची स्थित अन्य सरकारी आवासो तथा राज्य के अन्तर्गत ऐसे अन्य स्थानो पर स्थित सरकारी आवासो के लिए भी लागू की जा सकेगी जिनके बारे मे राज्य सरकार समय--समय पर अधिसूचना निर्गत करेगी।

जब तक सदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मे :–

क) "आवंटन" का अर्थ है इस नियमावली के उपबंधो के अनुसार आवास दखल करने के लिए अनुमति दिया जाना ।

ख) "भवन निर्माण विभाग" का अर्थ है झारखण्ड सरकार का भवन निर्माण विभाग।

ग) "भवन सचिव" का अर्थ है झारखण्ड सरकार के भवन निर्माण विभाग का सचिव / आयुक्त एव सचिव।

घ) "केन्द्रीय पूल" का अर्थ है प्रशासनिक पदाधिकारियों / राजपत्रित पदाधिकारियों एव अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए राँची स्थित आवासो का पूल जो झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के तहत् भवन निर्माण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में है। झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली मे भविष्य मे जो संशोधन होगा वह इस नियमावली मे स्वतः लागू समझा जायेगा।

च) "पात्र कार्यालय" का अर्थ है राँची स्थित मंत्रालय / सचिवालय के सभी विभाग / कार्यालय, राँची स्थित सरकारी सचिवालय के संलग्न कार्यालय, राँची स्थित विभागाध्यक्षों के कार्यालय एवं राँची स्थित ऐसे अन्य सभी सरकारी कार्यालय जिनके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियो / राजपत्रित पदा0 एवं अराजपत्रित कर्मियों के आवास का कोई अलग पूल नही है अथवा उनके पूल से कोई आवास भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

छ) "पात्र पदाधिकारी / कर्मचारी" का अर्थ है पात्र कार्यालय मे कार्यरत सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी ।

ज) "आवंटन समिति" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–5 के अन्तर्गत गठित / राजपत्रित एवं अराजपत्रित आवास आवंटन समिति।

सत्यापित
पंडित
18-11-20
अवर सचिव
भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची
जनसूचना पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची

Scanned by TapScanner

"आवंटी" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति (पदाधिकारी/कर्मचारी) जिसे आवंटन समिति द्वारा अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास आवंटन किया जाता है।

ट) "परिवार" का अर्थ है यथास्थिति पत्नी या पति और पुत्र–पुत्री या माता–पिता एवं अन्य निकट संबंधी जो सामान्यतः पदाधिकारी/कर्मचारी के साथ रहते हो एवं उनपर आश्रित हो।

ठ) "सरकार" का अर्थ है झारखण्ड राज्य सरकार।

ड) "नगरपालिका क्षेत्र" मे नगर निगम, नगरपालिका, समिति बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी भी शामिल है।

ढ) "आवास" का अर्थ है केन्द्रीय पूल राँची का आवास। जिस पर, सरकार का स्वामित्व हो अथवा जिसे सरकार के द्वारा किराये / पट्टे अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त किया गया हो।

ण) "मानक किराया" का अर्थ है सरकारी आवास का झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार निर्धारित मानक किराया या सरकार के द्वारा समय–समय पर यथापुनरीक्षित मानक किराया या सरकार द्वारा समय–समय पर यथापुनरीक्षित मानक किराया अथवा अन्य किसी प्रकार से निर्धारित किया गया मानक किराया।

त) "किराया" का अर्थ है इस नियमावली के अधीन आवंटित आवास के लिए देय किराया।

थ) "बाजार दर किराया" का अर्थ है मानक किराये का पाँच गुणा किराया।

द) "दण्ड किराया" अथवा "बाजार–सह देय किराया" का अर्थ है बाजार दर किराये का तिगुना किराया (मानक किराये का पन्द्रह गुणा किराया)

ध) "निष्कासन" का अर्थ है झारखण्ड सरकारी परिसर, (आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली) / अधिनियम 2002 के अन्तर्गत निष्कासन।

न) "सिकमी पर लगाना" में आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किराया या बिना किराया के आवास में हिस्सा बांटना भी शामिल है।

प) "राजपत्रित पदाधिकारी" का अर्थ है राँची में पदस्थापित और तैनात अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी।

फ) "अराजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारी" का अर्थ है राँची में पदस्थापित और तैनात पात्र कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारी व पदाधिकारी।

अवर सचिव
भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची

Scanned by TapScanner

ब) "अस्थायी स्थानान्तरण" का अर्थ है ऐसा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति जिसकी अनुपस्थिति अवधि अधिक से अधिक चार महीने की हो।

भ) "स्थानान्तरण" का अर्थ राँची म्युनिसिपल क्षेत्र से अन्यत्र दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण या अपात्र कार्यालय मे स्थानान्तरण और इसमे केन्द्रीय सरकार के अथवा झारखण्ड सरकार से अन्य राज्य सरकार के अधीन स्थानान्तरण या प्रत्यावर्तन या प्रतिनियुक्ति भी शामिल है।

म) "पृथक पूल" या "सब पूल"— राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों / झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों / झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारी – कर्मचारी वृन्द / माननीय उच्च न्यायालय, राँची के माननीय न्यायधीशों एवं उच्च न्यायालय के पदाधिकारी–कर्मचारी एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए जो किसी नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल के आवासों के पात्र हों के लिये अलग निर्धारित आवासों का समूह।

य) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकारी परिसर (आवास आवटन, किराया वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2002।

र) "कर्णांकित आवास" से अभिप्रेत है किसी सरकारी पद के विरूद्ध निर्धारित किया गया कोई विशेष आवास जिसे किसी सरकारी व्यक्ति/ कर्मचारी /पदाधिकारी को मात्र उस अवधि के लिये आवंटित किया जा सकेगा जिस अवधि मे वह सरकारी व्यक्ति / पदाधिकारी / कर्मचारी उस पद विशेष को धारित करता है।

4. प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवास आवंटनः-

क) आवास आवंटन के इच्छुक प्रत्येक पात्र पदाधिकारी / कर्मचारी भवन निर्माण विभाग, राँची के सक्षम / भूसम्पदा पदाधिकारी को परिशिष्ठ 'क' के फारम में आवेदन देंगे।

ख) यदि इच्छुक पात्र पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि/योगदान की तिथि से 30(तीस) दिनों के अन्दर दिया जाता है तो प्रतीक्षा सूची में वरीयता निर्धारण हेतु कार्यभार ग्रहर्ण करने की तिथि/योगदान की तिथि को मान्यता दी जायेगी अन्यथा भवन निर्माण विभाग

मे आवेदन प्राप्ति की तिथि को मान्यता दी जायेगी। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियो के लिये वरीयता निर्धारण उनकी अपनी सेवा मे वरीयता को आधार मानकर किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में नियम 5 (क) के अधीन गठित आवास आवटन समिति निर्णय ले सकेगी। अन्य सेवाओं के पात्र पदाधिकारियों को भी उनकी सेवा मे वरीयता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता अथवा वरीयता दी जा सकेगी जब वे अपनी श्रेणी से नीचे की श्रेणी के आवास लेने के इच्छुक हो।

ग) रॉची मे एक ही तिथि को कार्यभार ग्रहण करने वाले/योगदान करने वाले एक ही श्रेणी के पात्र पदाधिकारियों की आपसी वरीयता उनके सेवा मे योगदान (सेवावधि में वरीयता) के आधार पर निर्धारित होगी।

घ) भवन निर्माण विभाग के भूसम्पदा–पदाधिकारी पात्र पदाधिकारियों की उपलब्धियों और यथास्थिति पात्र पदाधिकारियो कर्मचारियो के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/योगदान की तिथि अथवा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि के आधार पर पदाधिकारियो / कर्मचारियों की श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची बनायेंगे। अखिल भारतीय सेवा एव राज्य सरकार के पदाधिकारियों की प्रतीक्षा सूची अलग अलग बनायी जायेगी एवं यथासम्भव दोनों वर्गो के पदाधिकरियों के लिये अलग अलग पूल बनाया जायेगा।

ङ) पात्र पदाधिकारियों को उनके वेतनमान के आधार पर छ. श्रेणियो मे विभक्त किया जायेगा। विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों का वर्गीकरण मूल वेतन के आधार पर भवन निर्माण विभाग के द्वारा समय समय पर कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (अराजपत्रित कर्मियों के लिये वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के कर्मियों के लिये अलग अलग श्रेणी/पूल रखा जायेगा)

च) उप नियम (क), (ख), (ग),(घ) एवं (ङ) के उपबंधो के अनुसार तैयार की गई प्रतीक्षा सूची प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को प्रकाशित की जायेगी। प्रकाशित प्रतीक्षा सूची संबधित पदाधिकारी कर्मचारी के अवलोकनार्थ भवन निर्माण विभाग में रहेगी।

सत्यापित
पंडित

भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची

Scanned by TapScanner

[illegible] प्रतीक्षा सूची के क्रम से किया जायगा।

ञ) प्रतीक्षा सूची में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी / कर्मचारी राँची से बाहर कार्यालय में स्थानान्तरण या अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरण की सूचना दें ताकि प्रतीक्षा सूची से उनका नाम हटा दिया जाय।

आवास आवंटन समिति – भवन निर्माण विभाग के द्वारा राँची केन्द्रीय पूल के आवासों को आवंटन के निमित्त निम्नवत् समिति सभी निर्णय लेगी –

क) नियम 7(2) के अन्तर्गत क्रमांक 1 से लेकर 4 तक की श्रेणियों हेतु राजपत्रित आवास आवंटन समिति –

i)	माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग	–	अध्यक्ष
ii)	मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी	–	सदस्य
iii)	सचिव, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग	–	सदस्य
iv)	सचिव, भवन निर्माण विभाग	–	सदस्य
v)	अभियन्ता प्रमुख / मुख्य अभि0, भ0.नि0.वि0	–	सदस्य

ख) अराजपत्रित आवास आवंटन समिति–
(नियम 7(2) के अन्तर्गत श्रेणी संख्या 5 एवम् 6 के लिये)

i)	सचिव, भवन निर्माण विभाग	–	अध्यक्ष
ii)	उपसचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव, भ0.नि0.वि0	–	सदस्य
iii)	अभियन्ता प्रमुख / मुख्य अभि0., भ0.नि0.वि0.	–	सदस्य
iv)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का उप सचिव / संयुक्त सचिव	–	सदस्य
v)	सचिव, झारखण्ड राजस्व पर्षद	–	सदस्य

ग) उप नियम (क), (ख) के गठित समिति के बैठकों के निर्णय हेतु समिति के न्यूनतम आधे सदस्यों की उपस्थिति अथवा सहमति आवश्यक होगी।

घ) आवास आवंटन समिति के कृत्य – आवास आवंटन समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी जिसके निर्णय [illegible] होंगे।

अनुमोदित
पठित
[illegible] भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची

i) पात्र पदाधिकारी / कर्मचारियों को आवास आवंटित करना

ii) जब कोई पदाधिकारी अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित आवास से नीचे की श्रेणी के आवास के लिए इच्छुक हो तो ऐसे पदाधिकारियों और नीचे की श्रेणी के पदाधिकारियों के बीच प्राथमिकता निश्चित करना।

iii) अति अनुकम्पा / बीमारी / प्रशासी आवश्यकताओ / सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतीक्षा सूची के बाहर के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय लेना।

आवास आवंटन में प्राथमिकता एवं विशेष व्यवस्था :–

केन्द्रीय पूल, राँची के निम्नांकित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को यथा अंकित सीमा तक आवास आवंटन मे प्राथमिकता दी जायेगी।

क) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सकल्प सं0 573 दि0 3.02.2004 के आलोक मे न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन मे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

ख) महिला कर्मचारियों जो अविवाहित / विधवा/परिवार मे आय अर्जन करने वाले अकेले सदस्य हो की विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आवास प्राथमिकता के आधार पर इन्हें आवंटित किया जा सकेगा।

ग) विभिन्न विभागों के मंत्रियों के सरकारी आप्त सचिव को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किया जायेगा।

घ) मुख्यमंत्री सचिवालय एवं अन्य महत्वपूर्ण विभाग / कार्यालय के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के असामयिक एवं अतिसंवेदनशील कर्तव्यों को मद्देनजर रखते हुए / या अन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पाली से पूर्व आवंटन की सुविधा आवास आवंटन समिति दे सकती है।

ङ) राँची केन्द्रीय पूल के दो या दो से अधिक पदाधिकारियों / कर्मचारियों के संयुक्त आवंटन अभ्यावेदन के आधार पर पाली से पूर्व आवंटन की सुविधा देने हेतु आवास आवंटन समिति निर्णय ले सकेगी।

च) यदि पति एव पत्नी दोनो राँची केन्द्रीय पूल के पात्र पदाधिकारी / कर्मचारी हो तो दोनो के आवेदनों के आधार पर अनुमान्यता श्रेणी में प्राथमिकता दी जायेगी।

छ) पति या पत्नी को मिलाकर एक ही सरकारी आवास आवंटित किया जायेगा, किन्तु जहां पति या पत्नी किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण से अलग–अलग रहते

सत्यापित
पंडित
18.1.2020
भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची

Scanned by TapScanner

हो वहां यह उप-नियम लागू नहीं होगा। पति-पत्नी को संयुक्त रूप से आवंटित आवास का किराया मात्र एक पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा देय होगा। यदि पति अथवा पत्नी मे से किसी एक का स्थानान्तरण राँची से बाहर हो जाता है तो दूसरे को वह आवास अविच्छिन्न रूप से स्वतः आवंटित समझा जायेगा। पति/पत्नी को अलग अलग आवास आवंटित होने पर उनमे से प्रत्येक को अलग अलग निर्धारित किराया का भुगतान करना होगा।

ज) अलग-अलग आवासीय पूलो से आवंटित आवासों मे रहनेवाले दो पदाधिकारी यदि आपस मे विवाह कर लें तो विवाह के एक माह के अन्दर उन्हें कोई एक आवास अभ्यर्पित कर देना होगा।

झ) यदि विवाह के एक माह के भीतर कोई आवास अभ्यर्पित नही किया जाय तो नीची श्रेणी के आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा। यदि दोनो आवास एक ही श्रेणी के हों तो भवन सचिव के निर्णयानुसार उनमे से एक आवास का आवंटन रद्द समझा जायेगा।

ट) i) यदि पति अथवा पत्नी में से किसी एक के राज्य सरकार से बाहर नियोजित होने के फलस्वरूप उनके संगठन से कोई आवास आवंटित होता है तो बाद के आवंटन के भीतर इन दोनों मे से एक आवास अभ्यर्पित कर देना होगा।

ii) यदि कोई आवास अभ्यर्पित नही किया जाता है तो केन्द्रीय पूल के आवास का आवंटन रद्द किया गया माना जायेगा।

7. आवासों का वर्गीकरण :-

1) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध आवासों को कुल छः श्रेणियों मे विभाजित किया जायेगा। ये वेतनमान जनवरी 2004 में लागू वेतनमान के समकक्ष वेतनमान माने जायेंगे और भविष्य में वेतनमान में परिवर्तन होने पर अथवा अन्य किसी कारण अथवा प्रयोजन हेतु भवन निर्माण विभाग स्वयं इस उप नियम के अन्तर्गत दर्शाई गई वर्गीकृत श्रेणियों को किसी भी समय संशोधित अथवा परिवर्तित कर सकता है।

2) विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिये विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों की पात्रता निम्न रूप से होगी -

क्र०.	आवास की श्रेणी	पात्रता (मूल वेतन की परिधि)
1.	'एफ' टाईप	18,400 से 22,400 एवं उसके ऊपर
2	'ई' टाईप	14,300 से 18,399 एवं उसके ऊपर

सत्यापित
पठित
अवर सचिव
भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची

डी टाईप	10,000 से 14,299 एव उसके उपर
सी टाईप / सी0 डी0 टाईप	6,500 से 9,999 एव उसके उपर
बी टाईप	3,200 से 6,499 एव उसके उपर
ए टाईप	2,550 से 3,199 एव उसके उपर

आवास का आवटन तथा ऑफर—आवास आवटन के मामले मे नियम 17 के अधीन प्राप्त आवेदन–पत्रो की अधिमान्यता दी जायेगी :–

1) नियम 7 के अधीन जिस श्रेणी के आवास का पात्र आवेदक हो, उससे उच्चतर श्रेणी का आवास उन्हे आवटित नही किया जायगा।

2) नियम 7 के अधीन आवेदक जिस श्रेणी के आवास के अधिकारी है, उससे निम्नतर श्रेणी के आवास को स्वीकार करने के लिये आवेदक को बाध्य नही किया जायेगा।

3) नियम 4 के अधीन दिये गये आवेदन–पत्र मे ही आवेदक यह अकित कर देगे कि वे जिस श्रेणी के आवास के अधिकारी है, उस श्रेणी के निम्नतर श्रेणी के आवास को स्वीकार करेगे या नही। आवेदक जिस श्रेणी के आवास के अधिकारी हो, उससे दो निम्नतर श्रेणियो तक के आवास के आवटन हेतु अपनी इच्छा आवेदन पत्र मे अकित कर सकते है। ऐसे आवेदन के आधार पर आवेदक को अपने अनुमान्य श्रेणी के आवास से दो निम्नतर श्रेणी का आवास आवटित किया जा सकेगा।

4) यदि इस प्रकार की इच्छा आवेदन–पत्र मे अकित नही की गयी है तो बाद मे निम्नतर श्रेणी के आवास आवंटन हेतु कोई आवेदन विचारार्थ स्वीकार नही किया जायगा।

5) आपातिक स्थिति मे यदि पदाधिकारी द्वारा आवटन के आधार अधिकृत आवास खाली करना पडे तो उन्हे निम्नतर श्रेणी का आवास आवटित किया जा सकेगा।

9 आवटन को स्वीकार नहीं किया जाना :–

(1) आवटन आदेश निर्गत होने के 15 दिनो के अन्दर आवटी द्वारा भू–सम्पदाधिकारी को यह सूचित कर देना होगा कि उन्हे आवटन स्वीकार है या नही। यदि आवटी पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अन्दर कोई सूचना नही देते है तो उन्हे आवटन आदेश निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक कोई आवास आवटित नही किया जायगा।

2) आवटित आवास के खाली हो जाने पर आवटी को इसकी सूचना दी जायेगी। इस सूचना के निर्गत होने के 7 दिनो के अन्दर आवंटी आवटित आवास मे प्रवेश कर

अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची

Scanned by TapScanner

आयग एवं उत्तरावर्ती अधिग्रहण सूचना सक्षम / सम्पदा पदा० को देंगे, अन्यथा आवंटन रद्द किया जा सकेगा।

3) यदि निम्नतर श्रेणी के आवास में रहने वाले पदाधिकारी को अपनी श्रेणी के अनुसार या नियम 8 (3) के अनुसार आवेदन–पत्र में अंकित आवास आवंटित किया जाय और आवंटी इसे अस्वीकार करे तो उन्हें पूर्व आवंटित आवास में रहने की अनुमति इस शर्त्त पर की जा सकेगी कि वह पदाधिकारी आवंटन के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अन्य आवंटन के अधिकारी नहीं होंगे।

10 आवंटन की अवधि :–

1) आवास में प्रवेश करने की तिथि अथवा आवंटित आवास खाली होने की सूचना निर्गत होने के 7वां दिन से आवंटन प्रभावी होगा और तबतक रहेगा जबतक कि –

क) राँची स्थित किसी पात्र कार्यालय से आवंटी के स्थानान्तरण होने के बाद उप–नियम (2) के अधीन अनुमान्य रियायती अवधि बीत न जाय; अथवा

ख) जब तक आवंटन रद्द नहीं कर दिया जाय या रद्द किया गया नहीं समझा जाय; अथवा

ग) आवंटी द्वारा आवास सरेन्डर न कर दिया जाय; अथवा

घ) आवंटी आवास पर दखल छोड़ न दें।

2) स्थानान्तरण या अन्य कारणों से राँची स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित अवधि तक व शर्त्तों के अधीन आवंटित आवास को पदाधिकारी दखल में रख सकेंगे, बशर्ते कि पदाधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों के वस्तुत उपयोग के लिये यह आवास आवश्यक हो।

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
क्र०.	स्थिति	आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि
1.	सेवा से पदत्याग, बर्खास्तगी या हटाया जाना सेवा की समाप्ति अथवा कर्तव्य से अनाधिकृत	एक माह

सत्यापित प्रति

अभि० भवन निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची

Scanned by TapScanner

(61)

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना संख्या-भ०२-आ0 विविध-933/09 466(भ) राँची, दिनांक- 4 , 3 , 2010

अधिसूचना

भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-1434(भ) दिनांक 0707/2004 के द्वारा अधिसूचित सरकारी आवास आवटन, किराया वसूली एवं बेदखली नियमावली, 20 के क्रमांक-(7) के उप क्रमांक-(2) के तहत प्रावधानित केन्द्रीय पूल में उपलब्ध आवासो को कुल श्रेणीयो में विभक्त कर विभिन्न श्रेणीयो के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पात्रता (कॉलम-3) के स्थान प वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-660 दिनांक-28/08/09 (जिससे केन्द्रीय वेतनमान अनुरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पुनरीक्षित वेतनमान लागू की गयी है) आलोक में केन्द्रीय पूल में उपलब्ध आवासो को कुल छः श्रेणीयों में विभक्त कर विभिन्न श्रेणीयों पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पात्रता (कॉलम-4) निम्न रूप से अधिष्ठापित की जाती है :-

क्रम सं०	आवास की श्रेणी	पूर्व प्रावधानित पात्रता (मूल वेतन की परिधि)	पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वर्त्तमान प्रावधानित पात्रता (वेतनमान के अनुरूप)
1	2	3	4
1	'एफ' टाईप	18,400 से 22,400 एवं उसके ऊपर	37,400-67,000 ग्रेड पे-10,000 एवं उससे ऊपर
2	'ई' टाईप	14,300 से 18,399 एवं उसके ऊपर	37,400-67,000 ग्रेड पे-8,700 से 8,900 तक
3	'डी' टाईप	10,000 से 14,299 एवं उसके ऊपर	15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 से 7,600 तक
4	'सी' टाईप/ सी०डी० टाईप	6,500 से 9,999 एवं उसके ऊपर	9,300-34,800 ग्रेड पे-4,200 से 5,400 तक
5	'बी' टाईप	3,200 से 6,499 एवं उसके ऊपर	5,200-20,200 ग्रेड पे-1,800 से 2,800 तक
6	'ए' टाईप	2,550 से 3,199 एवं उसके ऊपर	4,400-7,440 ग्रेड पे-1,300 से 1,650 तक

2. उक्त नियमावली की शेष कंडिका यथावत रहेंगे ।

3. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

4.8.
(ए० के० सरकार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 466(भ) राँची, दिनांक- 4 / 3 /10

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

4.3.
(ए० के० सरकार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 466(भ) राँची, दिनांक- 4 / 3 /10

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/ मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सभी आयुक्त/आरक्षी अधीक्षक, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
भवन निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची

4.3.10
(ए० के० सरकार)

Scanned by TapScanner